BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 972/2019

Bhanwar Lal Bhargava

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondent

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Action taken report in compliance of the Hon'ble Tribunal order dated 10.06.2021, on behalf of Rajasthan State Pollution Control Board.	1-2
2.	DOCUMENTS	
	Annex-1- Photo copy of the criminal prosecution filed against Municipal Council, Nokha	3-13
	Annex-2 Photo copy of the State Board letter dated 02.07.2021	14-16
	Annex-3 Photo copy of the executive officer letter dated 17.09.2021	17-18

(Pradeep Asnani)
Regional Officer, RSPCB,
Bikaner

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 972/2019

Bhanwar Lal Bhargava

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondent

ACTION TAKEN REPORT In COMPLIANCE OF THE HON'BLE TRIBUNAL ORDER DATED 10.06.2021, ON BEHALF OF RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD.

I, Pradeep Asnani S/o Shri Jai Kishan Asnani, aged 38 years, at present working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Bikaner (Raj.) do, hereby submits the action taken report as follows:-

1) That on the basis of inspection carried out, the State Board has filed criminal prosecution against the Municipal Council, Nokha and its officials on 13.08.2021, under section 43 and 44 of the Water Act, 1974. The photo copy of the criminal prosecution filed against Municipal Council, Nokha is annexed herewith and marked as **Annexure-1.**

2) That in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the State Board vide letter dated 02.07.2021 has requested the Principal Secretary, Department of Environment, Government of Rajasthan to recover environment compensation from Municipal Council, Nokha and deposit the same to CPCB in compliance of orders passed by the Hon'ble Tribunal in OA no. 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti Vs union of India &

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Others. The photo copy of the State Board letter dated 02.07.2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

2) That the Executive Officer, Municipal Council, Nokha vide letter dated 17.09.2021 has informed that the Municipal Council, Nokha has submitted proposal for establishment of 2 STP's to RUIDSICO, Jaipur for approval. Further, till the establishment of the STP's mentioned herein, the Muncipal Board has issued EOI dated 11.08.2021 for treatment of sewage waste by Bioremediation technology and will issue work orders at the earliest. The photo copy of the executive officer letter dated 17.09.2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-3.**

4) That in the light of submissions made herein above, it is requested that the action taken report may kindly be taken on record.

(Pradeep Asnani)
Regional Officer, RSPCB,
Bikaner

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

Annexure-1

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट, नोखा,जिला–बीकानेर,

राजस्थान

आपराधिक मुकदमा क्रमांकः ..../2021

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी,
जयपुर
जरिये क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीकानेर।

................परिवादी

बनाम

1. नोखा नगर पालिका, नोखा जरिये कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका नोखा, जिला–बीकानेर।
2. श्री शिकेश कांकरिया, कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका नोखा, जिला--बीकानेर।

................अभियुक्तगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 43 एवं 44 वास्ते अवपालना धारा 24 एवं 25/26 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

महोदय,

परिवादी अपना परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकार प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि परिवादी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में "मण्डल" के नाम से उल्लेखित किया गया है) का जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यहाँ तथा बाद में "जल अधिनियम" के नाम से उल्लेखित किया गया है), गठन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जल को स्वास्थ्य प्रकृति बनाये रखने एवं जल की पूर्वावस्था में लाने एवं अधिनियम के उपरोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से किया गया है।

किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।"

9. यह कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47(1) में उल्लेखित है कि– "जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अपराध के लिए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएगें और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होगें। परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति की इस अधिनियम मे उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नही बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो ओर यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनो के लिए–

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" के उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।"

10 यह कि जल (प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 49(1) में उल्लेखित है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य बोर्ड द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नही करेगा और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नही करेगा।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 50 में उल्लेखित है कि बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और सेवक जब वे इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ मे लोक सेवक समझे जाएगें।

11. यह कि अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी विषाक्त, अपायकर या प्रदूषक पदार्थ, जोकि मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों की सीमा से अधिक हों, को किसी सरिता, कुंए, भूमिगत जल एवं अन्य किसी स्त्रोत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं कराएगा और प्रवेश कराने से अनुज्ञात रहेगा। राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित मानक प्रत्येक के लिए बाध्यकारी हैं एवं इनकी अवपालना अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

12. यह कि अधिनियम की धारा 25/26 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इस धारा के उपबन्धो के अधीन रहते हुये राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति मल या बहिःस्त्राव के किसी सरिता या कुएं या मलजल में या भूमि पर निस्सरण के लिये कोई नया या परिवर्तित निकास न तो उपयोग मे लायेगा और न मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव का किसी सरिता या कुए या मलज़ल में या भूमि पर नया निस्सरण आरम्भ करेगा।

13. यह कि परिवाद राज्य मण्डल की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे राज्य मण्डल द्वारा मुख्य कार्यालय के पत्रांक F.14/Tech-Bikaner(139-STP)/RPCB/Plg/190-192 दिनांकः—17/06/2021 के द्वारा अधिकृत किया गया है एवं जो कि अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत लोकसेवक है, परिवाद उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले एवं कार्य करने से तात्पर्य रखने की क्षमता में प्रस्तुत किया जा रहा है।

14. यह कि जल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य मण्डल को प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना हेतु, अभियुक्त क्रमांक 1 लगायत 2 के विरूद्व, जैसा कि धारा 47 एंव 48 में उल्लेखित किया गया है, धारा 24, 25/26 की अवेहलना करने पर जल अधिनियम की धारा 43 एंव 44 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया है।

15. यह कि जल अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत जो कोई धारा 24 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि (एक वर्ष और छह मास से कम न होगी, किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दण्डनीय होगा)।

16. यह कि जल अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत जो कोई धारा 25 या 26 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि (एक वर्ष और छह मास से कम न होगी, किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दण्डनीय होगा)।

17. यह कि अभियुक्तगणों द्वारा वार्ड न. 7, नोखा, बीकानेर में मलजल (सीवेज) के उपचार हेतु 01एम.एल.डी. का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण सीवेज को उपचारित (ट्रीटमेन्ट) करने हेतु किया गया है।

18. यह कि नगरपालिका, नोखा, बीकानेर के द्वारा उपरोक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट सम्मति स्थापना व सम्मति संचालन के बिना संचालित किया गया जो कि धारा 33, 43 एवं 44 के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तगर्त एक दण्डनीय अपराध है। मण्डल अधिकारियों द्वारा उपरोक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निरीक्षण दिनांक 21.12.2018, 15.02.2019, 08.07.2019, 11.12.2019, 21.08.2020, 24.02.2021 को किया गया था जिसमें उपरोक्त मलजल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट परिचालन में नही था। अनउपचारित मलजल को सीधे ही समीपस्थ भूमि में निष्काशित किया जा रहा था।

19. यह कि कारण बताओ नोटिस मण्डल मुख्यालय, जयपुर के पत्रांक F.14/Tech-Bikaner(139-STP)/RPCB/Plg/975-980 दिनांक 28.02.2020 को जारी किया गया था और OBH 18.06.2020 को नगरपालिका, नोखा, बीकानेर को दिया गया था।

20. यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 24.08.2020 को O.A.No.972/2019 Bhanwar Lal Bhargava V/s State Of Rajasthan में निम्न आदेश जारी किए है :–

"Let the State PCB take further steps in the matter. The state PCB may further require the Municipal Board to take steps for connectivity of the sewage generation point to STP and utilization of treated effluent for non-potable/agricultural uses, taking into account directions of this tribunal in order dated

प्रदीप कुमार आसनानी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

21.05.2020 in original application no.593/2017, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr.V. UOI & Ors."

21. यह है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना इरादा अभियोजन मण्डल मुख्यालय द्वारा दिनांक 07.10.2020 को जारी किया गया।

22. यह है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नगरपालिका,नोखा को द्वारा कारण बताओ सूचना मण्डल कार्यालय के पत्रांक दिनांक 07.10.2020 को जारी किया गया था परन्तु इसका कोई भी प्रतिउत्तर एवं सम्मति संचालन बाबत कोई भी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

23. यह है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 28.08.2019 को O.A.No.593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Anr.V. UOI & Ors. में दिशा निर्देशों के तहत पर्यावरण को क्षति पहुँचाने पर पर्यायवरणीय मुआवजा आरोपण एवं नियमों के उल्लंघन हेतु निम्न आदेश जारी किए है :-

> "All the Local Bodies and or the concered departments of the Sate Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the State/UTs, with effect from 01.04.2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of environment".

24. यह है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 21.09.2020 के निर्देशित मामले O.A.No.593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Anr.V/s Union of India & Ors में अन्य विषयों में निम्न आदेश दिए है :-

प्रदीप कुमार सामसानी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

(i) That state may ensure that STPs meet the laid down norms and remedial action be taken wherever norms are not met.

(ii) It must be ensure that no untreated sewage/effluent is discharged into any water body.

25. यह है कि उपरलिखित अवलोकनार्थ के पश्चात जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का पालन नगरपालिका,नोखा द्वारा मण्डल के बार–बार निर्देशों के उपरान्त भी नहीं किया गया।

26. यह है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 48 के अन्तर्गत यह शक्ति प्रदान करता है कि जहां अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी राज्य सरकार के विभाग द्वारा किया जाता है, वहां उस विभाग के प्रमुख पर नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

27. यह है कि नगरपालिका,नोखा के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत मण्डल द्वारा दिये जाने वाले आदेशों की पालना नही की गई।

अ. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का संचालन बिना पूर्व सम्मति संचालन एवं सम्मति स्थापना प्राप्त किये प्रारम्भ किया गया।

ब. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में मलजल बिना उपचार के ही समीपस्थ लीज पर लिए हुए खेत पर निष्कासित किया जा रहा है। अपितु अनुपचारित मलजल विना लीज वाले खेतो पर भी निष्कासित किया जा रहा था जिससे फसलों को अत्याधिक नुकसान हुआ है।

स. अनुपचारित मलजल के कारण चारों तरफ बदबू एवं मच्छर मक्खियां की मात्रा भी सामान्य से अधिक पायी गई जिसके फलस्वरूप किसी भी प्रकार की महामारी आस–पास के रिहायशी इलाको मे होने की आशका है ।

द. यह है कि उपरोक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से Final Outlet(bypass) के नमूने मण्डल अधिकारियों द्वारा लिए गये जो कि केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित किए गये है। विश्लेषण के पश्चात सभी जाँच नमूनो की BOD, COD एवं अन्य मानको भी निर्धारित मानको से अधिक पाये गये है(विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है)।

प्रदीप कुमार अग्रवाल
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

अभियुक्तगणों द्वारा जानबूझकर किया जा रहा उपरोक्त कृत्य जल अधिनियम की धारा 24 की अवेहलना है जो उक्त अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

28. यह कि अभियुक्तगण द्वारा अपने सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को परिवादी मण्डल की पूर्व सम्मति के बिना संचालित किया गया एवम् वर्तमान में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कार्यरत नही है अभियुक्तगणों का उपरोक्त कृत्य जल अधिनियम की धारा 25/26 की अवेहलना कर रहा है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

29. यह कि उपरोक्त निर्णय की पालना हेतु मण्डल के सदस्य सचिव द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975, के नियम 8 (7) के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, बीकानेर, को उपरोक्त उनवानित आपराधिक प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

30. यह कि अभियुक्त क्रमांक 1 निगमित निकाय है। अभियुक्त कमाक–2 उपरोक्त निगमित निकाय अर्थात कार्यकारी अधिकारी है, कमांक–1, नोखा नगरपालिका, नोखा,बीकानेर के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापो के लिये उत्तरदायी एवं नियन्त्रक है। जिनके अधीन उपरोक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों का संचालन होता है।

अतः परिवाद प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि परिवाद का प्रसंज्ञान लेकर उचित कानूनी कार्यवाही के पश्चात् अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 24, 25/26, का उल्लंघन किये जाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 43 एवं 44 के अन्तर्गत दोषी ठहराया जाकर उचित दण्डादेश पारित करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

परिवादी

प्रदीप कुमार आसनानी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जरिये बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीकानेर

स्थान: बीकानेर

दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट,नोखा,जिला–बीकानेर,

राजस्थान

आपराधिक मुकदमा क्रमांकः ..../2021

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी,

जयपुर

जरिये क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

बीकानेर

...............परिवादी

बनाम

1. नोखा नगर पालिका, नोखा जरिये कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका नोखा, जिला–बीकानेर।
2. श्री शिकेश कांकरिया, कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका नोखा, जिला–बीकानेर।

...............अभियुक्तगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 43 एवं 44 वास्ते अवपालना धारा 24, एवं 25/26 एवं 33(ए) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

महोदय,

सूची – गवाहन

1. श्री गोविन्द सागर भारद्वाज, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.म., जयपुर।
2. श्रीमति शीबा खान, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म., जयपुर।
3. श्री प्रेमा लाल रेगर, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., बीकानेर।
4. श्रीमति गरिमा मिश्रा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म. बीकानेर।
5. श्री [illegible], कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म. बीकानेर।
6. श्री [illegible], कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, रा.प्र.नि.म. बीकानेर।

प्रदीप कुमार [illegible]
क्षेत्रीय अधिकारी
[illegible]
बीकानेर [illegible]

श्री गिरीश व्यास, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, रा.प्र.नि.म., बीकानेर।

परिवादी

प्रदीप कुमार आसनानी

[illegible]

राजस्थ[illegible]

बीकान[illegible]

जरिये क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

बीकानेर

स्थान: बीकानेर

दिनांक:

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट,नोखा,जिला–बीकानेर,
राजस्थान

आपराधिक मुकदमा क्रमांक: ...../2021

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी,
जयपुर जरिये
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीकानेर

.....परिवादी

बनाम

1. नोखा नगर पालिका, नोखा जरिये कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका नोखा, जिला–बीकानेर।
2. श्री शिकेश कांकरिया, कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका नोखा, जिला–बीकानेर।

.....अभियुक्तगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 43 एवं 44 वास्ते अवपालना धारा 24 एवं 25/26 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

महोदय

सूची – दस्तावेज

1 सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नगरपालिका,नोखा पर कानूनी कार्यवाही करने की स्वीकृति दिनांक 17.06.2021

2 राज्य मण्डल का कार्यालय पत्रांक 11.01.2021

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदेश दिनांक 24.08.2020

4 राज्य मण्डल का कार्यालय आदेश दिनांक 28.02.2020

5 राज्य मण्डल की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.12.2018, 15.02.2019, 08.07.2019, 11.12.2019, 21.08.2020, 24.02.2021

राज्य मण्डल की केन्द्रीय प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 21.12.2018, 15.02.2019, 08.07.2019, 11.12.2019

परिवादी

प्रदीप कुमार आसनानी

जरिये क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

बीकानेर

स्थान: बीकानेर

दिनांक:

Annexure-2

252

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004
Phone :0141-2711263 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
TollFreeHelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

No.F14/Tech-Bikaner(139-STP)RPCB/ Plg 259-263 Date: 2/7/2021

Principal Secretary,

Department of Environment,

Government of Rajasthan,

Jaipur.

Sub.:- Imposition of Environmental Compensation for discharge of untreated sewage on the agriculture lands by Municipal Board, Nokha, Bikaner-reg.

Ref.:- 1. Hon'ble NGT order dated21.05.2020, in O.A no. 593/2017, in the matter of Paryavaran Suraksha Samiti & Anr.V/s Union of India & Ors.
2. Hon'ble NGT order dated 10.06.2021 in O.A. no. 972/2019 in the matter of Bhanwar Lal Bhargva V/s State of Rajasthan.

Madam,

This refers to the order dated 10.06.2021 of the Hon'ble NGT in O.A. no. 972/2019 in the matter of Bhanwar Lal Bhargva V/s State of Rajasthan.

The Hon'ble NGT viewed the issue of discharge of untreated sewage by Municipal Board, Nokha and no action against the Municipal Board by RSPCB seriously and passed following direction:-

"we give last opportunity for compliance, failing which the Secretary of the concerned Departments i.e. Local Bodies/Urban Development/Local Self Department and the Member Secretary, State PCB will be held personally accountable, by way of coercive measures laid down under Section 25 and 26 of the National Green Tribunal Act, 2010 (NGT Act). Under Section 26 of the NGT Act, violation of order of this Tribunal is a criminal offence punishable with imprisonment upto three years and fine upto Rs. 10 crores. Under Section 25 of the NGT Act, 2010, the order is executable at the decree of the Civil Court. Under Section 51 of the Code of Civil Procedure, 1908, there is provision for civil imprisonment or any other order. Any other order can include stopping of salary of the erring officers. The Tribunal will accordingly take such coercive measures as found appropriate, if the failure continued. Let the Member Secretary State PCB and concerned Secretary Local Self Govt. Rajasthan remain present in person by video conferencing with the compliance status."

Earlier in the same matter of O.A .No. 972/2020 the Hon'ble NGT in its order dated 24.08.2020 had directed as under:-

" Let the State PCB take further steps in the matter. The State PCB may further require the Municipal Board to take steps for connectivity of sewage generation points to STP and utilisation of treated effluent for non-potable/agricultural uses, taking into account directions of this Tribunal in order dated 21.5.2020 in Original Application No. 593/2017, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. v. UOI & Ors.

Subsequently State Board issued show cause notices to the Municipal Board, Nokha and convened two meeting with LSG department, which were attended by Secretary, LSG also. However, the Municipal Body failed to take any step for treatment of sewage.

The Hon'ble NGT in the matter of O.A No. 593/2017 in its order dated 28.08.2019 has given following directions regarding imposition of Environmental compensation for violation of the rules:-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01.04.2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

The period for recovery of compensation was extended by Hon'ble NGT extended up to 01.07.2020 vide its order dated 21.05.2020, which is as under:-

"100% treatment of sewage/effluent must be ensured and strict coercive action taken for any violation to enforce rule of law. Any party is free to move the Hon'ble Supreme Court for continued violation of its order after the deadline of 31.3.2018. This order is without prejudice to the said remedy as direction of the Hon'ble Supreme Court cannot be diluted or relaxed by this Tribunal in the course of execution. PCBs/PCCs are free to realise compensation for violations but from 1.7.2020, such compensation must be realised as per direction of this Tribunal failing which the erring State PCBs/PCCs will be accountable."

Hon'ble NGT in its order dated 21.09.2020 in the matter of O.A No. 593/2017, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr.V/s Union of India & Ors reiterated its earlier directions regarding ensuring 100 % treatment of sewage and in case of default pay compensation to be recovered by the States and further directed that:-

"The timeline for commissioning of all STPs fixed by the Hon'ble Supreme Court, i.e, 31.03.2018, has long passed. The Hon'ble Supreme Court directed that the State PCBs must initiate prosecution of the erring Secretaries to the Governments, which has also not happened. NGT directed that compensation may be recovered in the manner already directed in earlier order (28.08.2019and 21.05.2020), which may be deposited with the CPCB for restoration of the environment."

The State Board has already issued orders to file prosecution against Executive Officer of Municipal Board, Nokha under the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

In view of above, you are requested to recover the environmental compensation from Municipal Board, Nokha and deposit to CPCB in compliance of above cited orders of Hon'ble NGT in the matter of 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Anr.V/s Union of India & Ors,

Yours Sincerely,

(Dr. Gobind Sagar Bhardwaj)
Member Secretary

No.F14/Tech-Bikaner(139-STP)RPCB/ Plg 259-263 Date: 2/7/2021

Copy to the following for information and necessary action please:-

1. Secretary, LSG, Government of Rajasthan, Jaipur.
2. Director, DLB, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner.
4. Executive officer, Nagar Palika, Nokha, Bikaner.

Member Secretary

Annexure -3

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नोखा (बीकानेर)

क्रमांक : न.पा.नो./2021/5362 दिनांक 17-09-21

श्रीमान क्षेत्रीय प्रबन्धक,

राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,

बीकानेर।

विषय :– माननीय न्यायालय दिल्ली के प्रदुषण के संबंध में सूचना भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सविनय निवेदन है कि नगरपालिका क्षेत्र नोखा में सीवरेज की समस्या से संबंधित एक वाद माननीय NGT न्यायालय दिल्ली के समक्ष विचाराधीन के संबंध में निवेदन है कि उक्त सीवरेज की समस्या को दूर करने हेतु पालिका द्वारा दो नवीन STP प्रस्तावित किए जा चुके है, जिनके प्रस्ताव तैयार कर CLC बैठक में पारित कर RUIDSICO जयपुर भिजवाए जा चुकें है तथा नवीन STP प्लांट के स्वीकृत होने तक बायो रमेडिएशन पद्धति द्वारा सीवरेज जल के उपचार हेतु नगरपालिका नोखा द्वारा एक EOI दिनांक 11.08.2021को जारी कर दिया गया है, जिसमें 04 निविदादाताओं द्वार निविदाएं प्रस्तुंत की गई है, जिन्हे खोला जाकर परीक्षण किया जा रहा है। शीघ्र ही समिति में रखा जाकर कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नोखा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नोखा

OFFICE OF MUNICIPAL BOARD NOKHA (BIKANER)

Sr.No. : M.B.Nokha/2021-22/ 4122 Date :- 11-08-21

EXPRESSION OF INTEREST

For interim treatment of 4 MLD and 7 MLD domestic sewage at Nokha City

Bikaner

Rajasthan

Date : 11-08-2021

Expression of Interest is invited by **Municipal Board Nokha (Bikaner) Raj.** for in-situ treatment/ Bioremediation/ Phytoremediation of 4MLD and 7 MLD domestic sewage at/near village-Madiya and at/near village- Charkara respectively,. for Nokha City at the outskirts of Bikaner, Rajasthan.

The technology companies, having original research & experience of around 5 years for treatment of domestic sewage / industrial effluents / polluted waste water bodies like Rivers/Ponds etc., along with reduction of water quality parameters within NGT requirements by maintaining the pH, BOD, COD, using Phycoremediation based on Green customised Micro Algae Consortia, may apply. The company will ensure no damage to Nature, Ecology and Habitat of surroundings; but rather promote the same. The treated domestic sewage should be fit for agricultural as well as industrial reuse.

The company participating in the EOI should be either be a technology company or its exclusively authorised company participating in EOI should have practical experience of doing work in state government bioremediation projects in India.

Apart from the above criteria, the company should have a thorough understanding of the geographical location and its challenges, along with different types of pollution in these areas.

Companies having been awarded Projects by NGT or any other government agencies will be given preference.

The companies qualified as per above norms may submit proposals giving all necessary details of technology/ work experience /financials with in a period of Seven days from the date of advertisement of this EOI notification.

Chairman
Municipal Board Nokha

Executive Officer
Municipal Body, Nokha
Local Self Government Department

Sr.No. : M.B.Nokha/2021-22/ 4123-28 Date :- 11-08-21

Copy to :- For Reporting and Publishing.

1. Director of Local Self Govt. Rajasthan Jaipur.
2. Chief Eng. Of Local Sef Govt. Rajasthan Jaipur.
3. Rajasthan Polution Control Board Jaipur and Bikaner.
4. Executive Eng. Nagar Nigam Bikaner.
5. Assistant Eng. Environment Bikaner.
6. Editor of Rajasthan Patrika and Dainik Bhaskar Bikaner.

Executive Officer
Municipal Body, Nokha
Local Self Government Department